पवन हंस लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : रोहिणी हेलीपोर्ट, सैक्टर–36, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

सीआईएन : यू62200डीएल 1985जीओआई022233

सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए कम्पनी की 33वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को दोपहर 1.00 बजे सम्मेलन केन्द्र, स्कोप सी.जी. ओ. काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में किया जाएगा :–

सामान्य व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण से युक्त लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा उनके संबंध में की गई टिप्पणियां, साचिविक लेखा परीक्षित रिपोर्ट तथा निदेशक रिपोर्ट की प्राप्ति करना, उसके संबंध में विचार तथा अंगीकार किया जाना।

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लाभांश की घोषणा करना

   विचार किए जाने तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के तौर पर पारित किया जाना :–

   "एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कर पश्च लाभ पर 30% लाभांश की दर से 616.42 लाख रुपए की राशि का लाभांश तथा 126.71 लाख रुपए के निगमित लाभांश कर का भुगतान करने का संकल्प लिया जाता है तथा अनुमोदन दिया जाता है जो निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के निर्णय की शर्त के अध्याधीन होगा। तथापि, निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग द्वारा इसका अनुमोदन न किए जाने की स्थिति में लाभांश का भुगतान निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्थात 5607.73 लाख रुपए के लाभांश की राशि (जो निवेश एवं लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल सम्पति के 5% तथा कर पश्च लाभ के 30% से उच्च है) तथा 1152.71 लाख रुपए की निगमित लाभांश कर का भुगतान किया जाएगा।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आर. एस. चौहान)
कम्पनी सचिव
एफ.सी.एस. संख्या 8785

नई दिल्ली
24 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

1. कम्पनी के सभी सदस्य
2. सांविधिक लेखा परीक्षक
3. साचिविक लेखा परीक्षक

नोटः

1) बैठक में भाग लेने के पात्र तथा बैठक़ में मतदान के पात्र सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने के पात्र होगें जिसका कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।

2) बैठक के स्थल का मार्ग चित्र संलग्न है।